



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

02 अपराधियों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही

दिनांक:-02.12.2022

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री घुले सुशील चंद्रभान द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम व नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देश के क्रम में थाना रामपुर कलां पुलिस द्वारा अवैध रूप से चोरी/मारपीट करने जैसे अपराधों में लिप्त कुल 02 अपराधियों 1.मनोज सिंह पुत्र सुखपाल सिंह निवासी ग्राम नसीराबाद थाना रामपुर कलां जनपद सीतापुर 2.उमेश पासी पुत्र राजाराम पासी निवासी ग्राम कुतुबपुर थाना बिसवां जनपद सीतापुर के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी है। अभियुक्तगण शांति एवं अभ्यस्त किस्म के अपराधी हैं, जिनके विरुद्ध चोरी/मारपीट जैसे अपराधों के संबंध कई अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्तगण के विरुद्ध गैंग चार्ट अनुमोदित कराकर थाना रामपुर कलां पर मु0अ0सं0 324/22 धारा 2(ख)(1)/3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तगण जेल में निरुद्ध है। सभी अपराधियों की अपराध से अर्जित सम्पत्ति के सम्बन्ध में सूचना/साक्ष्य संकलित कर जब्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 324/22 धारा 2(ख)(1)/3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द निवारण अधिनियम थाना रामपुर कलां जनपद सीतापुर।

अभियुक्तगण का नाम/पता-

1. मनोज सिंह पुत्र सुखपाल सिंह निवासी ग्राम नसीराबाद थाना रामपुर कलां जनपद सीतापुर।
2. उमेश पासी पुत्र राजाराम पासी निवासी ग्राम कुतुबपुर थाना बिसवां जनपद सीतापुर।

अभियुक्त मनोज सिंह उपरोक्त का अपराधिक इतिहास-

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा व थाना	थाना
1	133/2014	323/504/427 भादवि व 3(1)X SC/ST Act	रामपुरकलां
2	503/2018	328/379 भादवि	बिसवां
3	225/2022	304/323 IPC व 3(2)(V) SC/ST ACT	रामपुरकलां
4	324/22	2(ख)(1)/3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द निवारण अधिनियम	रामपुरकलां

अभियुक्त उमेश पासी उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

क्र०सं०	मु०अ०सं०	धारा	थाना
1	225/2022	304/323 IPC व 3(2)(V) SC/ST ACT	रामपुरकलां
2	324/2022	2(ख)(1)/3(1) उ०प्र० गिरोहबन्द निवारण अधिनियम	रामपुरकलां